

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

अनुसूचित जनजाति आश्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति के वितरण हेतु राशि रूपये 387.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत 08 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय समिति को अनुदान हेतु राशि रूपये 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के स्थल परिवर्तन हेतु रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पूर्व से स्वीकृत संस्था	संशोधित संस्था
1	प्रीमैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लरीमा विकासखण्ड-कुसमी जिला सरगुजा	प्रीमैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नीलकण्ठपुर विकासखण्ड-कुसमी जिला-सरगुजा
2	प्रीमैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास कड़में विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा जिला कांकेर	प्रीमैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बारदा विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा जिला कांकेर
3	प्रीमैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सिक्सोड विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा जिला कांकेर	प्रीमैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बांदे विकासखण्ड-कोयलीबेड़ा जिला-कांकेर
4	प्रीमैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास करंगरा विकासखण्ड-गोरैला जिला-बिलासपुर	प्रीमैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास धनोली जिला-बिलासपुर

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं को सायकल प्रदाय करने हेतु राशि रूपये 31.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 31,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने हेतु रूपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

अशासकीय संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम-1998 के अन्तर्गत वेतन-भत्ते एरियर्स के भुगतान हेतु राशि रूपये 280.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 से 27

जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों के अनाथ एवं विस्थापित बच्चों के लिये विशेष आवासीय विद्यालय हेतु आकस्मिकता निधि से रूपये 2100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 2100 के प्रतीक प्रावधान शामिल किया गया है।

मद कमांक 28 एवं 29

यूरोपियन कमीशन एवं राज्य की साझेदारी कार्यक्रम येजनान्तर्गत संशोधित योजना अनुसार राजीव गांधी शिक्षा मिशन, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा राज्य साक्षरता मिशन को रूपये 193.92लाख के अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद कमांक 30 से 33

जिला ऐलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की योजना में मजदूरी तथा यात्रा भत्ता के व्यय हेतु रूपये 100 के मान से कुल 400 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 400 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद कमांक 34 से 35

जल गुणवत्ता से प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु रूपये 900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद कमांक 36

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु राशि रूपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 37

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु राशि रूपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 38

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह वर्ग के लिये केन्द्र शासन से प्राप्त राशि रूपये 350.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 39

अनुपूर्चित जनजाति के लिये 'वायुयान पायलट प्राशिक्षण' योजना हेतु राशि रूपये 45.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद कमांक 40 से 46

नवीन जिले नारायणपुर एवं बीजापुर में रोजगार कार्यालयों की स्थापना हेतु राशि रूपये 570 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	रोजगार अधिकारी	2	8000-13500
2	कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	2	5000-8000
3	सहायक ग्रेड-1	2	4500-7000

4	सहायक ग्रेड-2	2	4000-6000
5	सहायक ग्रेड-3	6	3050-4590
6	डाटा एन्ट्री आपरेटर	2	3500-5200
7	भूत्य	4	2550-3200
8	चौकीदार	2	2550-3200
9	पार्टाइम स्वीपर	2	क्लेक्टर दर
	योग	24 पद	

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 5,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 47

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के मशीन उपकरण क्रय हेतु राशि रूपये 150.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद कमांक 48

केन्द्र क्षेत्रीय योजनान्तर्गत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 860 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि 8,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 49

शक्ति चलित, हस्त चलित एवं बैल चलित कृषि यंत्रों पर राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान हेतु रूपये 100 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 50 एवं 51

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत राज्यांश हेतु राशि रूपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

मद कमांक 52 एवं 53

बकरी प्रजनन इकाई में पोषाहार एवं अन्य व्यय हेतु राशि रूपये 0.50 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 200 रूपये के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद कमांक 54 से 55

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत रूपये 3040.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 30,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद कमांक 56

राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत रूपये 2470.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 24,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2702

मद कमांक 57

शाकम्बरी योजनान्तर्गत राशि रूपये 95.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 58 से 59

केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत हाथकरघा विकास योजनान्तर्गत हाथकरघा विकास के लिए राशि रूपये 6.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 60

टसर रेशम विकास एवं विस्तार योजनान्तर्गत उत्पादन के लक्ष्य पूर्ति हेतु राशि रूपये 10.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 61 एवं 62

अनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रम भवनों के निर्माण हेतु राशि रूपये 558.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 63

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर के सिविल इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन विभाग के दो भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 64

आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार हेतु (अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत) राशि रूपये 542.66 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,42,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4402

मद क्रमांक 65

माइक्रोमार्झनर सिंचाई योजनान्तर्गत सिचिंत क्षेत्र में वृद्धि तथा सुनिश्चित सिंचाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लघु निर्माण हेतु राशि रूपये 75.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 66

कासीसोत योजना तथा खूंटपाली व्यपर्वर्तन लघु सिंचाई योजना हेतु रूपये 30.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।